पेंच टाइगर रिज़र्व में बेनामी लेनदेन

चर्चा में क्यों?

आयकर विभाग की **बेनामी निषेध इकाई (BPU) ने** मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिज़र्व में तीन बेनामी लेनदेन का पता लगाया।

मुख्य बिंदु

- **बेनामी लेनदेन का विवरण:**
  - दो बेनामी लेन-देन में मौजूदा रिसॉर्ट वाली भूमि शामिल थी, जबकि तीसरा लेन-देन रिसॉर्ट के लिये इच्छित भूमि से संबंधित था।
  - **आयकर विभाग की बेनामी निषेध इकाई (BPU) ने** बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम 2016 के तहत तीनों संपत्तियों का पता लगाया और उन्हें कुर्क कर लिया।
    - मध्य प्रदेश **बेनामी संपत्ति कुर्क करने में देश में सबसे आगे है,** जहाँ 900-950 करोड़ रुपए मूल्य की 1,400 से अधिक संपत्तियां कुर्क की गई हैं।
- **अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में कानूनी संदर्भ:**
  - भू-राजस्व संहिता की **धारा 165** मध्य प्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों **में आदिवासियों की जमीन गैर-आदिवासियों को बेचने पर रोक लगाती है।**
  - आदिवासी, ज़िला कलेक्टर की मंज़ूरी के बिना अधिसूचित और गैर-अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में **गैर-आदिवासियों को भूमि पट्टे पर दे सकते हैं।**
  - लाभकारी मालिकों ने **इस प्रतिबंध को दरकिनार करते हुए जनजातीय प्रतिनिधियों के माध्यम से** भूमि खरीद ली और फिर उसे रिसॉर्ट निर्माण के लिये पट्टे पर दे दिया।
- **बाघ अभयारण्यों (टाइगर रिज़र्व) में बेनामी संपत्ति कुर्क करने का महत्त्व:**
  - ये कुर्क या संलग्नक बाघ अभयारण्यों के भीतर बेनामी लेनदेन पर एक दुर्लभ कार्रवाई का प्रतिनिधित्व करती हैं।
  - बाघ अभयारण्यों और वन्यजीव अभयारण्यों के निकट आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्थित अन्य रिसॉर्ट भी इसी प्रकार के उल्लंघन के लिये जाँच के दायरे में हैं।

पेंच टाइगर रिज़र्व (PTR)

- PTR **मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों का संयुक्त गौरव है।**
- **यह अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा ज़िलों में** सतपुड़ा पहाड़ियों **के दक्षिणी छोर** पर स्थित है तथा **महाराष्ट्र के नागपुर ज़िले में** एक अलग अभयारण्य के रूप में विस्तृत है।
  - इसे 1975 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया तथा वर्ष 1992 में इसे बाघ अभयारण्य का दर्जा दिया गया।
  - हालाँकि, PTR **मध्य प्रदेश को 1992-1993 में यही दर्जा दिया गया था।** यह **मध्य हाइलैंड्स के सतपुड़ा-मैकाल पर्वतमाला के प्रमुख संरक्षित क्षेत्रों में से एक है।**
- यह भारत के महत्त्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों (IBA) के रूप में अधिसूचित स्थलों में से एक है।
- IBA बर्डलाइफ इंटरनेशनल का एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य विश्व के पक्षियों और उनसे संबंधित विविधता के **संरक्षण के लिये IBA के वैश्विक नेटवर्क की पहचान, निगरानी और सुरक्षा करना है।**

बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम 2016

- इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम (बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988) में संशोधन किया गया तथा इसका नाम बदलकर **बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 कर दिया गया।**
- **अधिनियम में बेनामी लेनदेन को ऐसे लेनदेन के रूप में परिभाषित किया गया है, जहाँ:**
  - कोई संपत्ति **किसी व्यक्ति के पास है या किसी व्यक्ति को हस्तांतरित है,** लेकिन **उसका प्रावधान या भुगतान किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया है।**
  - लेन-देन किसी **काल्पनिक नाम से किया गया है**
  - मालिक को संपत्ति के **स्वामित्व की जानकारी नहीं है या वह इसकी जानकारी से इनकार करता है,**

- संपत्ति के लिये प्रतिफल प्रदान करने वाले व्यक्ति का **पता नहीं चल पा रहा है।**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/benami-transactions-in-pench-tiger-reserve